

प्रेस नोट संख्या- 05

दिनांक 03.10.2026

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा लूट का खुलासा, लूट के 05 मोबाइल फोन, 1200/- रुपये नकद के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 03.10.2026 को थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विशाल कश्यप पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम हृदई का पुरवा थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया एवं 02 बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया। अभियुक्त विशाल के कब्जे से 02 मोबाइल फोन व दोनों बाल अपचारी के कब्जे से 03 मोबाइल फोन व 1200/-रुपये बरामद हुए। पास खड़ी मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स यूपी 72 एएम 6384 के कागज मांगने पर दिखा न सकें।

पूछताछ में दोनों बाल अपचारी ने बताया कि बरामद सभी मोबाइल फोन व रुपये लूट के हैं जिसे हम दोनों लोग तमंचा दिखा कर कई स्थानों पर मोबाइल लूट किये हैं। दिनांक 01.10.2026 की शाम को इसी एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल सं0 यूपी 72 एएम 6384 से धनापुर मोड़ के पास से एक महिला से पर्स लूटकर भाग गये थे। पर्स से 01 सैमसंग, 1200/-रुपये व आधार कार्ड मिला था। पर्स और आधार कार्ड को रास्ते में फेंक दिये थे। वीवो मोबाइल फोन को लगभग 02 माह पहले जनपद रायबरेली से एक महिला से तथा पोको मोबाइल फोन को लगभग 01 सप्ताह पहले सलोन से उंचाहार रोड जनपद रायबरेली से एक महिला से लूटकर भाग गये थे। लूट करके सभी मोबाइल फोन को हम दोनों विशाल कश्यप को अनलाक करके बेचने के लिये दे देते हैं।

अभियुक्त विशाल के कब्जे से बरामद 02 मोबाइल फोन 1.रेडमी, 2.पोको के बारे में बताया कि ये दोनों मोबाइल फोन इन दोनों ने लूट करके दिये थे। मोबाइल फोन को अनलाक करके मैं बेंच देता हूँ जिससे जो रुपये मिलते हैं इन दोनों को दे देता हूँ तथा कुछ रुपये खुद रख लेता हूँ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. विशाल कश्यप पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम हृदई का पुरवा थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 26 वर्ष बरामदगी-

1. लूट के 05 मोबाइल फोन।
2. लूट के 1200/- रुपये।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 182/26 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार सिंह थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 राजेश कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
3. हे0का0 अजय कुमार गिरि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
4. हे0का0 धीरेन्द्र सिंह थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
5. का0 हरवेन्द्र सिंह अंकित कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
6. का0 अनुज कुमार थाना थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।